

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 207/2021

Ravi Singh Son Of Shri Rakesh Singh

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Rajveer Singh, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Deve Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/05/2026

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 136/2026 पर सुना गया।

विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अज्ञानता के कारण से अभियुक्त समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था। अभियुक्त अभी भी अभिरक्षा में है।

अतः संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 792 दिन का विलंब माफ किया जाता है।

In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 1802/2025

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आगामी पेशी पर अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक विवरण व अभिरक्षा प्रमाण पत्र तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J